भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *136

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

सभी प्रकार के रोजगार और कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

***136. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की प्रयोज्यता का संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी प्रकार के रोजगार तथा कर्मकारों पर विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या संबंधित कर्मकारों के कौशल आधार या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर के लिए मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कर्मकार की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत करने की भी आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का श्रम कानूनों तथा कर्मकारों पर न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान का विस्तार करने के लिए प्रयासरत मजदूर संघों को भी तर्कसंगत बनाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

सभी प्रकार के रोजगार और कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से संबंधित डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दिनांक 01.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *136 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): द्वितीय श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर मोटे तौर पर चार या पाँच श्रम संहिताओं में समूहीकृत करने की सिफारिश की है। तद्नुसार, मंत्रालय ने मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों को सरलीकरण, समामेलन और युक्तिकरण द्वारा, मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं पर क्रमशः चार श्रम मजदूरी संहिताओं के प्रारूप बनाने के लिए कदम उठाए हैं। मजदूरी संबंधी प्रारूप श्रम संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी संदाय, बोनस संदाय, समान पारिश्रमिक आदि से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया गया है और यह पूर्व-विधायी चरण में है।

******